वार्षिक लेखे
2012–13
एवं
पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
2012–13

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (ए.यू.डी.)

वार्षिक लेखे

2012–13

एवं

पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

2012–13

एम. वर्मा एंड एसोसिएट

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

1209, हेमकुंट चैम्बर्स,
नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-19,
फोन : 91-41078098
ई-मेल : mvermaassociates@ yahoo.in

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च, 2013 को भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली" के संलग्न तुलन-पत्र और इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु इसके साथ संलग्नक आय एवं व्यय लेखा की भी लेखापरीक्षा की । इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी प्रबंधन की है । हमारी जवाबदेही हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है ।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों से अपेक्षा है कि हम वित्तीय विवरणों के प्रत्यक्ष अयथार्थता से मुक्त होने के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसका निष्पादन करें ।

3. एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर धनराशियों के समर्थन में साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की जांच शामिल है । एक लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा बनाए गए सार्थक अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण रूप से प्रतिपादन का मूल्यांकन भी शामिल है ।

4. हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए एक सार्थक आधार प्रदान करती है ।

5. **हम सूचित करते हैं कि :**

   i. ऋण और अग्रिमों में क्रमश : पिछले वर्ष में विभिन्न डिपॉजिटरी कार्य हेतु पी.डब्ल्यु.डी को दिए गए रु. 6533004 तथा रु. 31110545 की धनराशि शामिल है । मुझे उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड और जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान पी.डब्ल्यु.डी द्वारा कई कार्य पूरे किए गए थे और ए.यू.डी. ने इन परिसंपत्तियों/ सुविधाओं का उपयोग किया है । पी.डब्ल्यु.डी द्वारा बिलों/नाप/पूर्णता प्रमाणपत्र/स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के कारण किए गए कार्य की देयता का अभिनिश्चित नहीं किया जा सका और नहीं दिया गया तथा भुगतान की गई धनराशि अग्रिम के रूप में प्रतीत हो रही है । उक्त को ध्यान में रखते हुए अग्रिम की उक्त धनराशि की अत्युक्ति है और देयताओं, व्यय की न्यूनोक्ति है, जिसकी मात्रा निश्चित नहीं है (संदर्भ नोट संख्या 1) ।

   ii. लेखाकरण् मानक 15 'कर्मचारी लाभों' और लेखांकन मानक 29 'प्रावधानों, आकस्मिकता देयताएं एवं आकस्मिकता परिसंपत्ति' के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरण नहीं बनाए गए हैं।

iii. 'नयी पेन्शन योजना'(एन.पी.एस.) पर वर्ष एवं पिछले वर्ष के दौरान कटौती किए गए नियोक्ता एवं कर्मचारी के अंशदान संबंधी उचित अनुदेशों के अभाव में उचित प्राधिकारियों को धन प्रेषण नहीं किया गया और धनराशि को बैंक के एफडीआर/अलग बैंक खाता में रखा है । ब्याज/दंड के मामले में देयताओं का यदि कोई हों कोई नहीं, धनराशि के गैर/विलंब धन प्रेषण हेतु पता नहीं लगाया गया और उपलब्ध नहीं कराया गया।

iv. वर्ष के दौरान और पिछले वर्ष में विश्वविद्यालय लियन पर रहने वाले कर्मचारियों का वेतन से पेन्शन अंशदान की कटौती की है । इस संबंध में कुछ कर्मचारियों की धनराशि की नियोक्ता के अंशदान की कटौती की गगई और छुट्टी वेतन की धनराशि का प्रेषणविश्वविद्यालय द्वारा कर्मचारी से संबधित मूल संगठन को नहीं किया गया ।

v. कर के गैर/कम कटौती तथा कर के देर से प्रेषण के कारण देयता का अभिनिश्चय नहीं किया गया और विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया ।

vi. कुछ कर्मचारियों एवं अन्य के लिए अग्रिम सामंजस्य के अधीन है और अपुष्ट है, परिणामस्वरूप आय एवं व्यय तथा परिसंपत्तियों और विश्वविद्यालय की देनदारियों पर इसका प्रभाव अभिनिश्चित नहीं हैं ।

vii. पुस्तकों के प्रापण हेतु क्रय प्रक्रिया का निम्नलिखित के संबंध में सुधार किए जाने की आवश्यकता है :

खंड संख्या V द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई क्रय प्रक्रिया/ पुस्तकालय क्रय नीति के अनुसार 'छूट की दर ए.यू.डी. प्राधिकरणों के विवेकानुसार भिन्न हो सकते हैं और पैनल के आपूर्तिकर्ता को स्वीकार्य होंगे । आगे खंड 5.ii के अनुसार छूट की दरों के बावजूद ए.यू.डी. पुस्तकालय को छूट के उच्च दर पर पुस्तकों/प्रकाशनों को पुस्तकें खरीदने का अधिकार होगा । आगे छूट के शेड्यूल के अनुसार प्रकाशन के वर्ष तथा मीडियम ऑफ लैंग्वेज आदि के आधार पर छूट दर्शाई गई है । इस संबंध में हमने पाया है कि वर्ष के दौरारन पुस्तकें बाजार में उपलब्ध छूट दरों के संबंध में छूट के शेड्यूल में लिखित छूट की दरों पर खरीदी गई थीं । हमारे सत्यापन हेतु कोई दस्तावेजी अथवा अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जो प्रकाशित कीमतों पर छूट को दर्शाता हो, जो अन्य स्रोतों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्राप्त किया गया हो और मौजूदा स्रोतों से पुस्तकों को खरीदने से पहले तुलना की गई हो जहां तक ए.यू.डी. पुसतकालय को क्रय नीति के अनुसार छूट की उच्च दर पर पुस्तकें/प्रकाशन खरीदने का अधिकार है । हमने अपने सत्यापन और उपलब्ध अभिलेखों से पाया कि पुस्तकों को खरीदने हेतु वर्ष के दौरान कोई भी कोटेशन/निविदा आमंत्रित नहीं की गई । वर्ष 2013-14 के दौरान रु.169.00 लाख की पुस्तकें खरीदी गई थी जो ए.यू.डी. के कुल व्यय का एक बड़ा हिस्सा है अत: निधियों के इष्टतम उपयोग हेतु क्रय प्रक्रिया को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है ।

हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि :

i. हमने रिपार्ट की टिप्पणियों की शर्तों के अधीन सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा हेतु यथासंभव हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे ।

ii. हमारी राय में विश्वविद्यालय द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बही को रखा गया है जहां तक ऐसे खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

iii. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय खाता बही से मेल खाते हैं ।

iv. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय बिंदु संख्या 5(ii) में उल्लिखित को छोड़कर लागू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानदंड का अनुपालन करते हैं।

v. मेरी राय उक्त लेखा में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार अनुसूची vii के अनुसार बिंदु संख्या 5(i) से 5(vii) तक और खाते पर नोट्स के अधीन दी गई सटीक जानकारी सही है और भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं ।

क) 31 मार्च,2013 को विश्वविद्यालय के स्टेट ऑफ अफेयर्स के तुलन पत्र के मामले में और

ख) उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए व्यय पर आय से अधिक के आय एवं व्यय खाते के मामले में।

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 12/07/2013

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

हस्ता./-

मोहेंदर गांधी
मेम. सं. 088396

भारत रत्न डॉ. बी.आर.अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली
कश्मीरी गेट, दिल्ली -110006

31.03.2013 को तुलन पत्र

देयताएं		अनुसूची	धनराशि (रु.)	परिसंपत्तियां	अनुसूची	धनराशि (रु.)
आय पर खर्च की अधिकता						
आय और व्यय खाते के अनुसार			8,02,44,504	स्थायी परिसंपत्तियां	II	12,69,22,575
चालू देयताएं और प्रावधान		I	4,67,03,210	निवेश		1,49,78,558
सीइसीइडी और अन्य परियोजनाओं की अव्ययित अनुदान धनराशि		VI	1,12,62,642	चालू परिसंपत्तियांऔर ऋण और अग्रिम	III	12,32,31,798
पूंजीगत पूंजी						
- रोकड़ शेष	98768042					
- वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय	28154533		12,69,22,575			
कुल			**26,51,32,931**	कुल		**26,51,32,931**

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट संलग्न के अनुसार

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 12.7.2013

एम.वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंटस

आशा आर. रुंगटा(वित्त नियंत्रक)
अम्बेडर विश्वविद्यालय

चन्दन मुखर्जी
(सम-कुलपति और वित्त नियंत्रक)
अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

भारत रत्न डॉ. बी.आर.अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली
कश्मीरी गेट, दिल्ली -110006

31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का खाता

व्यय	अनुसूची	धनराशि (रु.)	आय	अनुसूची	धनराशि (रु.)
			बैलेंस बी/एफ पिछले साल से		7,25,64,752
स्थायी परिसंपत्तियां	II	2,81,54,533	प्राप्त अनुदान		20,00,00,000
प्रशासन लागत	IV (A)	18,23,53,661	फार्म/प्रकाशन/निविदा दस्तावेजों की बिक्री		10,70,252
शैक्षणिक लागत	IV (B)	2,00,12,600	सीईसीईडी ओवरहेड प्रभार प्राप्तियां		4,05,445
			पाठ्यक्रम फीस		3,03,37,500
			हॉस्टल फीस		14,13,500
			कल्याण निधि		3,66,000
			विविध प्राप्तियां		2,25,124
आय पर व्यय की अधिकता के/आ बैलेंस शीट		8,02,44,504	**बैंक का ब्याज**		
			- सावधि जमा पर		4,12,655
			- बचत खाते पर		33,82,153
			पूर्व अवधि की वस्तुएं		5,87,917
योग		**31,07,65,298**	**योग**		**31,07,65,298**

स्थान: नई दिल्ली

तिथि : 12.7.2013

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट संलग्न के अनुसार

आशा आर. रुंगटा(वित्त नियंत्रक)
अम्बेडर विश्वविद्यालय

एम.वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंटस

चन्दन मुखर्जी
(सम-कुलपति और वित्त नियंत्रक)
अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

भारत रत्न डॉ. बी.आर.अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली
कश्मीरी गेट, दिल्ली -110006

31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता

प्राप्तियां	अनुसूची	धनराशि (रु. में)	भुगतान	अनुसूची	धनराशि (रु. में)
प्रारंभिक शेष		4,3,44,213	स्थायी परिसंपत्तियां	II	2,42,58,277
			निवेश		5,634,599
प्राप्त अनुदान		20,00,00,000	प्रशासन लागत	IV (A)	15,63,50,048
मेस प्रभार		2,30,950	अकादमिक लागत	V (B)	1,,58,01,325
यूजीसी फैलोशिप(नेट)		5,93,233	पिछले वर्ष देयता		71,47,256
छात्रावास शुल्क		14,13,500	कर्मचारी एवं अन्य को किया गया अग्रिम भुगतान	V	78,38,146
उचंत प्राप्ति		91,821			
कल्याण निधि		3,66,000	अंत शेष		
सीईसीईडी एवं अन्य परियोजनाएं(नेट)		1,05,94,582	क) हाथ रोकड़		6,628
सर जमसेदजी टाटा न्यास परियोजना(नेट)		44,30,864	ख) बैंक शेष		8,38,80,434
कर्मचारी चेकों का निरस्तीकरण		3,87,917			
सीईसीईडी ओवरहेड प्रभार प्राप्तियां		2,16,817			
विविध प्राप्तियां		2,25,476			
फार्म/प्रकाशन/निविदा दस्तावेज की बिक्री		10,70,252			
पाठ्यक्रम शुल्क(निवल प्रतिदेय आदि)		3,03,37,500			
जमानती धनराशि		12,35,000			
प्रतिभूति जमा		15,90,990			
बैंक का ब्याज					
- सावधि जमा पर		33,82,153			
- बचत खाते पर					
कुल		**30,09,16,713**	कुल		**30,09,16,713**

स्थान: नई दिल्ली

तिथि : 11.7.2014

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट संलग्न के अनुसार

चन्दन मुखर्जी
(सम-कुलपति और वित्त नियंत्रक)
अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

आशा आर. रुंगटा(वित्त नियंत्रक)
अम्बेडर विश्वविद्यालय

एम.वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंटस

31.3.2013 को अंतिम खातों के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची I - चालू देनदारियां और प्रावधान

ब्यौरा	अनुसूची	धनराशि (रु.)
प्रतिभूति जमा राशि		21,94,770
विविध लेनदार		1,69,23,498
कर एवं शुल्क		6,29,321
कर्मचारी देयताएं		1,62,60,832
विविध देयताएं वित्तीय वर्ष 2011-12	I (ए)	80,617.00
छात्रों को देय राशि	I (बी)	172,850.00
विजिटिंग संकाय/विशेषज्ञ		1,00,406
देय लेखापरीक्षा फीस		2,86,050
देय खर्चे		62,54,555
जमानती राशि		28,62,000
देय मेस प्रभार		2,53,257
उचंत प्राप्ति		91,821.00
यूजीसी फैलोशिप		5,93,233
कुल		**4,67,03,210**

अनुसूची I (ए) - विविध देयताएं वित्तीय वर्ष 2011-12

ब्यौरा		धनराशि
वेतन से कटौती के संबंध में देयताएं		17,273.00
दौलत राम कॉलेज	16171	
आईजीएनओयू	190	
एनआईपीएफपी	212	
सचिव डीयूटीडब्ल्यूएफ	100	
एसएलबीएसवी	600	
मानदेय के संबंध में देयताएं		54,572.00
विक्रेताओं के संबंध में देयताएं		8,772.00
कुल		**80,617.00**

अनुसूची I (बी) - विद्यार्थियों को देय राशि

ब्यौरा		धनराशि
वित्तीय वर्ष 2011-12		136,200.00
शुल्क छूट	70000	
छात्रवृत्ति	66200	
वित्तीय वर्ष 2012-13		
छात्रवृत्ति		36,650.00
कुल		**172,850.00**

चन्दन मुखर्जी
(सम-कुलपति और वित्त नियंत्रक)
अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

आशा आर. रुंगटा(वित्त नियंत्रक)
अंबेडेकर विश्वविद्यालय दिल्ली

एम.वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

अनुसूचित ॥ - स्थायी परिसंपत्तियां

विवरण	01.04.2013 को सकल ब्लॉक	वर्ष के दौरान हुई वृद्धि (आय व्यय खाते के लिए चार्ज किया गया)	31.03.2013 को सकल ब्लॉक
	धनराशि (रु.)	धनराशि (रु.)	धनराशि (रु.)
फर्नीचर एंड फिक्सचर	5,90,99174	65,44,895	6,56,44,069
कंप्यूटर सहायक उपकरण	2,27,47,738	42,35,519	2,69,83,257
कार्यालय उपकरण	22,57,112	1,68,96,926	3,15,60,944
पुस्तकें -:	1,46,64,018	1,68,96,926	3,15,60,944
कुल	9,87,68,042	2,81,54,533	12,69,22,575

अग्रिम/अग्रदाय से खरीदी गई स्थायी परिसंपत्ति	2,15,237
क्रेडिट पर खरीदी गई स्थायी परिसंपत्ति	36,81,019
नकद से खरीदी गई स्थायी परिसंपत्ति	2,42,58,277

चन्दन मुखर्जी
(सम-कुलपति और वित्त नियंत्रक)
अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

एम.वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

आशा आर. रुंगटा(वित्त नियंत्रक)
अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

अनुसूची III - चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

विवरण		धनराशि (रु.में)
भाग-ए, चालू संपत्तियां		
वसूली योग्य टीडीएस*		63,191
हाथ रोकड़		6,628
बैंक बैलेंस		**8,38,80,434**
एयूडी अव्ययित अनुदान	2,73,18,445	
एयूडी फीस	35,944,744	
सीईसीईडी एवं अन्य परियोजनाएं अव्ययित शेष	12,799,184	
एसजेटीटी अव्ययित शेष	4,435,908	
वर्ष के दौरान अर्जित बैंक ब्याज	3,382,153	
कुल (ए)		**8,39,50,253**
भाग-बी, ऋण और अग्रिम		
विभागीय कार्य हेतु पीडब्ल्यूडी को अग्रिम		3,76,43,549
कर्मचारी को अग्रिम		10,75,502
आपूर्तिकर्ता को अग्रिम		5,92,658
अग्रदाय खाता		10,000.00
टेलीफोन कनेक्शन जमा		12,500.00
कुल (बी)		3,93,34,209
कुल योग (ए + बी)		**12,32,31,198**
***घटाएं : वसूल न किए गए शेष हेतु प्रावधान किए गए**		**52,664**
कुल योग		**12,32,31,798**

चन्दन मुखर्जी
(सम-कुलपति और वित्त नियंत्रक)
अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टड अकाउंटेंट्स

आशा आर. रुंगटा(वित्त नियंत्रक)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

अनुसूची - IV (ए) - प्रशासन लागत

ब्यौरा	धनराशि (रु.)
सलाहकार/चयन समिति की बैठक	29,07,451
विज्ञापन और प्रचार	50,96,831
लेखापरीक्षा शुल्क	3,71,462
लेखापरीक्षा खर्च	15,000
बैंक प्रभार	24,673
विद्युत व्यय	97,90,573
किराये का वाहन	34,80,705
बागवानी	1,04,886
चिकित्सा व्यय	9,29,292
बैठक व्यय (सांविधिक निकाय)	1,21,821
कार्यालय आकस्मिकता	9,49,568
डाक और कोरियर	75,836
छपाई और लेखन सामग्री	31,55,848
जलपान और कैटरिंग (मनोरंजन)	5,72,968
मरम्मत और रखरखाव	11,75,788
एनपीएस नियोक्ता योगदान	38,01,776
कर्मचारी लागत	11,78,63,917
स्वच्छता	49,19,066
सुरक्षा खर्च	87,18,194
खेलकूद उपकरण	1,05,376
विद्यार्थी/कर्मचारी कल्याण	45,000
छात्र स्वैच्छिक भुगतान	2,05,500
टेलीफोन और इंटरनेट व्यय	24,05,500
यात्रा भत्ता (विदेशी)	15,10,108
यात्रा भत्ता (घरेलू)	14,61,651
पानी हेतु खर्च	20,16,956
व्यावसायिक शुल्क	3,33,155
दीक्षांत समारोह	24,45,897
सदस्यता	26,31,030
ईआरपी और सॉफ्टवेयर	47,02,841
पिछले अवधि के खर्च	47,02,841
कुल	**18,23,53,661**
घटाएं : देय खर्च	**2,60,03,613**
प्रशासन लागत भुगतान	**15,63,50,048**

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टड अकाउंटेंट्स

अनुसूची IV (बी) - अकादमिक लागत

ब्यौरा	धनराशि (रु.में)
सेमिनार / सम्मेलन / कार्यशालाएं / कार्य	22,28,414
पत्रिकाओं / सामयिक / सदस्यता	78,77,495
अखबार और समसामयिक	81,207
छात्रों को वजीफा	41,87,393
परीक्षा खर्च	1,81,074
छात्रवृत्ति	13,43,649
अनुसंधान परियोजना	1,24,929
फील्ड आधारित शिक्षण/परियोजना कार्य	10,06,577
सहायक और विजिटिंग फैकल्टी	29,81,862
कुल	**2,00,12,600**
घटाएं : देय खर्च	**42,11,275**
प्रशासन लागत भुगतान	**1,58,01,325,**

चन्दन मुखर्जी
(सम-कुलपति और वित्त नियंत्रक)
अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

आशा आर. रुंगटा(वित्त नियंत्रक)
अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

अनुसूची - V - कर्मचारी एवं अन्य को भुगतान किए गए अग्रिम

ब्यौरा		धनराशि (रु.)
सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम		3,76,43,549
कर्मचारी सदस्यों को अग्रिम		10,75,502
आपूर्तिकर्ता को अग्रिम		5,92,658
कर्मचारी को अग्रदाय		10,000.00
टेलीफोन कनेक्शन जमा		12,500.00
कुल		**3,93,34,209**
घटाएं :		
सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम		3,11,10,545
आपूर्तिकर्ता को अग्रिम		10,388.00
कर्मचारी को अग्रदाय		1,00,000
कर्मचारी को अग्रिम		2,62,680
टेलीफोन कनेक्शन जमा		12,500
कुल		3,14,96,063
नकद में भुगतान किया गया अग्रिम		**78,38,146**

अनुसूची - VI - सीईसीईडी एवं अन्य परियोजनाओं का अव्ययित अनुदान धनराशि

ब्यौरा		धनराशि (रु.)
ए. सीईसीईडी एवं अन्य परियोजनाएं		68,31,778
बी. सर जमसेदजी टाटा ट्रस्ट		44,30,864
कुल		**1,12,62,642**

चन्दन मुखर्जी
(सम-कुलपति और वित्त नियंत्रक)
अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

आशा आर. रुंगटा(वित्त नियंत्रक)
अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

(ए) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं लेखा पर नोट्स

1. **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

   1. **वित्तीय विवरणों की तैयारी के आधार पर**

   वित्तीय विवरण अनिवार्य लेखांकन मानदंड एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी और आमतौर पर लेखांकन के संचय पद्धति आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. **राजस्व मान्यता**

   आय एवं व्यय निम्नानुसार को छोड़कर प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जाते हैं :

   i. विद्यार्थियों से फीस एवं अन्य प्राप्तियां एवं सरकारी अनुदान प्राप्ति आधार पर लिया जाता है ।

   ii. पत्रिकाओं के लिए भुगतान की जाने वाली वार्षिक सदस्यता का भुगतान, पूरी तरह से भुगतान के वर्ष में किया जाता है।

3. **स्थायी परिसंपत्तियां**

   स्थायी परिसंपत्तियों को लागत आधार पर रखा गया है और खरीद के वर्ष में पूरी तरह से शुल्क लगाया गया है।

   पत्रिकाओं के लिए भुगतान की जाने वाली वार्षिक सदस्यता का भुगतान, पूरी तरह से भुगतान के वर्ष में किया जाता है।

4. **अनुदान हेतु लेखांकन**

   सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को प्राप्ति वर्ष में आय के रूप में आय एवं व्यय खाता में दिखाया गया है ।

अनुसूची VII

(बी) खाते पर टिप्पणियां

1. (क) वर्ष तथा पिछले वर्ष के दौरान पी.डब्ल्यु.डी. को कई डिपॉजिट वर्क्स जैसे द्वारका और काश्मीरी गेट परिसर में एयर कंडीशन्ड की संस्थापना, विद्युत संस्थापना, मरम्मत एवं अनुरक्षण इत्यादि हेतु अग्रिम के रूप में रु.65,33004.00 और रु.31110545.00 का भुगतान किया । अग्रिम का समायोजन चालू वर्ष और पिछले वर्ष बिलों के जमा करने के अनुसार लम्बित है, समापन प्रमाणपत्रों, मापों, कार्य की स्थिति ए.यू.डी. के अनुरोध के बावजूद पी.डब्ल्यु.डी. द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिकतर प्रदान किए गए कार्यों के संबंध में कार्य पी.डब्ल्यु.डी. द्वारा पूरा किए गए और उनके उपयोग हेतु ए.यू.डी. को साइट सौंपी गई तथापि पर्याप्त डाटा/बिलों/मापों/समापान प्रमाणपत्र के अभाव में अग्रिम का समायोजन लम्बित है। ए.यू.डी. के अग्रिम/स्थायी परिसंपत्तियों/पूंजीगत रिजर्व पर उक्त का प्रभाव का इस चरण पर अभिनिश्चय नहीं हुआ है।

(ख) वर्ष के दौरान पी.डब्ल्यु.डी. को विभिन्न कार्यों हेतु कार्यादेश दिए गए थे । उक्त में से रु.303.00 लाख धनराशि के अनुमानित लागत वाले 28 कार्यादेश बकाया थे । 31-03-2013 को कई कार्य पी.डब्ल्यु.डी. द्वारा पूरा किए गए थे अथवा प्रगति में थे, तथापि बिलों के जमा, मापों, समापन, कार्य के स्टेट्स न होने के अभाव में उक्त हेतु देयता का अभिनिश्चय नहीं हुआ है, अभी भी उपलब्ध नहीं है ।

2. इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी(आईजीआईटी), कश्मीरी गेट कैंपस द्वारा चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान इस्तेमाल की गई बिजली और जल प्रभार के लिए 60:40 (एयूडी शेयर 40%) के अनुपात में बिजली और पानी के बिल के आधार पर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को रु.6805820.00 तथा रु.3503397.00 का भुगतान कर दिया गया है। आईजीआईटी और ए.यू.डी. संयुक्त रूप से कश्मीर गेट कैंपस को साझा कर रहे हैं और पीडब्लूडी से अलग मीटर की अनुपलब्धता के कारण तथा क्षेत्र के आधार पर और अन्य कारणों से उपभोग के अनुपात को 60:40 के रूप में आबंटित किया गया है।

3. वर्ष 2012-13 के भाग हेतु द्वारका में परिसर क्षेत्र का एयूडी एवं एनआईटी संयुक्त रूप से उपयोग करते थे । इस अवधि के दौरान कॉमन उपयोगिता जैसे विद्युत, स्वच्छता, सुरक्षा इत्यादि हेतु प्रभार एयूडी द्वारा भुगतान किए गए थे और एनआईटी द्वारा अनुपातिक रूप से उपयोगिता का शेयर के आधार पर उपभोग किया था । उक्त के कारण एनआईटी से वसूलीयोग्य धनराशि को वास्तविक उपभोग के आधार पर नहीं किया गया है जिसका अभी तक अनिश्चय नहीं हुआ है ।

4. स्रोत और ब्याज पर गैर/लघु कटौती करके दायित्व पर ध्यान दिया गया है और विसंगति देखे जाने अथवा सूचना मिलने पर जुर्माना एवं ब्याज लगाया गया है। एयूडी राशि की वसूली/कटौती की स्थिति का पता लगाने के लिए डीडक्टी से संपर्क से संपर्क किया जा रहा है।

5. कर्मचारी और नई पेंशन योजना(एनपीएस) का कर्मचारी अंशदान के प्रति वर्ष तथा पिछले वर्ष हेतु रु.7454787.00 तथा रु.5738854.00 की कर्मचारी देयता है क्योंकि उच्च शिक्षा निदेशालय से

अनुमोदन की प्रतीक्षा है और राशि अभी तक उचित प्राधिकारी को प्रेषित की जानी है। इस चरण पर गैर-प्रेषण के लिए ब्याज/जुर्माना की राशि, यदि कोई हो, तो यह सुनिश्चित नहीं किया गया है अतः इसे प्रदान नहीं किया गया है।

6. वर्ष के दौरान एयूडी को सरकार/अन्य संगठनों से विभिन्न सीईसीईडी/अन्य परियोजनाओं के लिए अनुदान/वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। अनुदान/सहायता के अनुरुप अव्ययित शेष पर अर्जित बैंक ब्याज की राशि को एएसयूडी की आय के रूप में माना जाता है।

7. कुछ कर्मचारियों और अन्य के लिए अग्रिम संराधन के अधीन हैं और विश्वविद्यालय की आय और व्यय और परिसंपत्ति और देनदारियों के लिए असंगत परिणामस्वरूप प्रभाव निश्चित नहीं हैं।

8. i) दिनांक 31.03.2013 को सीईसीईडी एवं अन्य परियोजनपाएं तथा जमशेदजी टाटा ट्रस्ट के तहत क्रमश : रु.6831778.00 और रु.4430864.00 बकाया शेष कर्मचारी को रु.2023119.00 धनराशि एवं बाहरी एजेंसियों के लिए रु.6317559.00 के और नकद आधार पर व्यय अग्रिम भुगतान के समायोजन के बाद अव्ययित शेष को दर्शाती है । अन्य संगठनों को भुगतान किए गए अग्रिम के प्रति दिनांक 31.03.2013 तक वहन किए गए व्यय की धनराशि, यदि कोई हो, की उपयोग प्रमाणपत्र/लेखा विवरणों के अभाव में उनकी लेखापरीक्षा की अनुपलब्धता के कारण जांच नहीं की गई।

ii) एयूडी प्राप्त अनुदान राशि का रिकॉर्ड दर्शा रहा है। वर्ष की शुरुआत और समापन पर व्यय और अग्रिम और बकाया अनुदान का अव्ययित शेष के लिए भुगतान की गई संचयी राशि दर्शाई गई है। इसके अलावा एयूडी, अनुमोदित बजट प्रमुखों के अनुसार मदवार व्यय दिखाने वाले रिकॉर्ड को बनाए रखने और दाता के रिकॉर्ड बनाए रखने के संबंध में अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया में है।

iii) कुछ परियोजनाएं 31.03.2013 तक जारी रही हैं, स्वीकृति शर्तों के अनुसार/दाता संगठन के साथ संपन्न एमओयू, इन परियोजनाओं का कार्यकाल 31.03.2013 को या उससे पहले समाप्त हो गया था। यद्यपि इन परियोजनाओं की वैधता के विस्तार का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होगा क्योंकि परियोजनाओं को पूरा करने में देरी अन्यथा दाता संगठन द्वारा अनुमोदित है।

iv) कुछ संगठन ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए फंड का विस्तार करते हुए एमओयू/अनुबंध/कार्य संपन्न किया और सलाहकार/सेवा प्रदाता की क्षमता में एयूडी/सीईसीईडी को परियोजना सौंप दी है। प्रबंधन का मानना है कि सर्विस टैक्स एक्ट के प्रावधान यहां लागू नहीं हैं क्योंकि फंड सामाजिक कल्याणकारी कार्यों हेतु सार्वजनिक सामाजिक परियोजनाओं के लिए स्थानांतरित किए गए हैं। फिर भी एयूडी, दाता/अनुदानक/परियोजना प्रतिक्षित संगठन से इस मामले को स्पष्ट करने की प्रक्रिया में है।

v) वर्ष के दौरान सीईसीईडी परियोजनाओं पर एयूडी आवंटित व्यय के कारण ओवरहेड शुल्क पर दो परियोजनाओं अर्थात यूनिसेफ और एमएचआरडी के लिए शुल्क लिया जाता है। प्रबंधन का मानना है कि अन्य परियोजनाओं पर ओवरहेड शुल्क उनके निश्चित रूप से प्राप्ति/परियोजना के पूरा होने पर लिया जाएगा।

9. वर्तमान संपत्ति में रु.91821.00 की उचंत रसीद और वर्तमान देयता शामिल है, उपर्युक्त धनराशि की अनुपलब्धता के कारण इस स्तर पर विश्वविद्यालय के परिणाम पर प्रभाव में अनिश्चितता नहीं है।

चंदन मुखर्जी (सम-कुलपति)
अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट

आशा आर. रुंगटा (वित्त नियंत्रक)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

2012–13

प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), दिल्ली का कार्यालय
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. स्टेट, नई दिल्ली-110 002

सं. ई .एस/41-3/डॉ. बी.आर.ए.यू./ लेखा 2016-17/ दिनांक :

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय ,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
'बी' विंग द्वितीय तल,
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली 1100-54

विषय : 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के लेखा पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

महोदय,

मैं 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के लेखा पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित करता हूं। अनुरोध है कि विधानमंडल को लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रस्तुति तिथि कृपया इस कार्यालय को सूचित की जाए। कृपया विधानमंडल में प्रस्तुत की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट की दो प्रतियां (अंग्रेजी तथा हिंदी प्रत्येक की) भी संदर्भ एवं अभिलेख हेतु प्रेषित की जाए।

कृपया प्रमाणित लेखा तथा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने तक इन्हें ''गोपनीय'' समझा जाए।

कृपया इसकी पावती दें।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(राजेश राजन)

वरि. उप महालेखाकार(ई.एस)

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार

सं. ई.एस./41-3/ डॉ. बीआरएयू/ लेखा/ 2016-17/975 दिनांक : 15/12/2016

पृथक लेखापरीक्षा की प्रतिया सूचना आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की जाती हैं :

1. कुलसचिव, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली – इस कार्यालय को प्रमाणित लेखा के हिंदी पाठ की 5 प्रतियां भेजने के अनुरोध सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (एनआर), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110124 - उनके दिनांक 06/12/2016 के पत्र सं. 564/उत्तरी क्षेत्र सेक्शन/एसएआर/एयूडी/156-2015 के संदर्भ सहित।

उप महालेखाकार(एस.एस.ए.)

वर्ष 2012-13 हेतु भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन(रिपोर्ट)

1. हमने 31 मार्च, 2013 को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के खंड 19(3) के अंतर्गत उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के संलग्न तुलन-पत्र, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा तथा आय एवं व्यय लेखा की लेखापरीक्षा की। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के प्रबंधन की है। हमारी जवाबदेही हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट मसौदा में केवल वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखा प्रयोगों के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों इत्यादि के संबंध में लेखा परीक्षण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सी.ए.जी.) की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों तथा विनियमों(औचित्य और नियमनिष्ठा) एवं कार्यकुशलता-सह-प्रदर्शन पहलुओं इत्यादि के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेनदेन संव्यवहारों लेखापरीक्षा टिपपणियां, यदि कोई हो, तो जांच रिपोर्ट/सी.ए.जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथक रूप से सूचित की जाती हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों से अपेक्षा है कि हम वित्तीय विवरणों के प्रत्यक्ष अयथार्थता से मुक्त होने के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसका निष्पादन करें। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर धनराशियों के समर्थन में साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की जांच शामिल है। एक लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा बनाए गए सार्थक अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण रूप से प्रतिपादन का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए एक सार्थक आधार प्रदान करती है।

4. **हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :**
   i. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी लेखापरीक्षा हेतु यथासंभव हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।
   ii. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा स्वीकृत सिद्धांतों तथा परिपाटी(कन्वेंशन्स) के अनुसार तैयार नहीं किए गए हैं।
   iii. हमारी राय में, विश्वविद्यालय द्वारा उचित खाता बही और अन्य संबंधित अभिलेखों (रिकार्ड्स) को विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किया गया है जहां तक ऐसे खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
   iv. इसके अलावा हम सूचित करते हैं :

ए. तुलन पत्र

1. देयताएं

आय एवं व्यय लेखा के अनुसार आय से व्यय का आधिक्य – रु.802.45 लाख

उपर्युक्त में छात्र कल्याण निधि में रु.7.20 लाख(रु.4.27 लाख के विश्वविद्यालय अंशदान तथा वर्ष के दौरान रु. 1.35 लाख व्यय का समायोजन करने के बाद) शामिल हैं जिसे उद्दिष्ट/अक्षय निधियों के तहत अलग से दर्शाया जाना चाहिए। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के अनुसार रु.7.20 लाख की छात्र कल्याण निधि में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) तथा आय से व्यय के आधिकृय में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) हुई है।

2. परिसंपत्तियां

निवेश - रु.149.79 लाख

विश्वविद्यालय ने नयी पेशन योजना तथा वर्ष 2012-13 हेतु देय छुट्टी नकदीकरण एवं पेंशन अंशदान से संबंधित रु.149.79 लाख की एफडीआर धनराशि को अपने निवेश के रूप में गलत तरीके से दर्शाया गया है। जिसके परिणामस्वरूप रु.149.79 लाख की निवेश में अत्युक्ति(ओवरस्टेट्मेंट) तथा चालू परिसंपत्तियां एवं ऋण तथा अग्रिम के तहत बैंक शेष में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेट्मेंट) हुई है।

बी. आय एवं व्यय लेखा

1. आय

पिछले वर्ष से अग्रानीत बैलेंस – रु. 725.65 लाख

आय एवं व्यय लेखा में केवल लेखांकन अवधि के दौरान अर्जित आय तथा वहन किए गए व्यय निहित होते हैं। इससे आरंभिक शेष के साथ कोई शीर्ष दर्शाना नहीं चाहिए। तथापि, वर्ष 2012-13 हेतु आय एवं व्यय लेखा में विश्वविद्यालय ने गलत तरीके से आय की तरफ आरंभिक शेष के रूप में रु.725.65 लाख को पिछले वर्ष के अवितरित अनुदान(आय एवं व्यय के आधिक्य का शेष) का अग्रानीत शेष दर्शाया है। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 हेतु आय में रु.725.65 लाख की अत्युक्ति (ओवरस्टेटमेंट) हुई है। यह प्रैक्टिस आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन प्रैक्टिस का उल्लंघन भी थी।

2. व्यय

प्रशासनिक लागत (शेड्यूल IVए) – रु.1823.54 लाख

उपर्युक्त में सॉफ्टवेयरों(स्थायी परिसंपत्तियां) की खरीद पर रु. 19.42 लाख का व्यय भी शामिल है। जिसके परिणामस्वरूप रु.19.42 लाख की प्रशासनिक लागत में अत्युक्ति (ओवरस्टेट्मेंट) तथा स्थायी परिसंपत्तियों में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेट्मेंट) हुई है। तुलनपत्र में अग्रनयन आय एवं व्यय का आधिक्य को उसी सीमा तक कम करके भी बतलाया गया है।

सी. प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

(i) वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने रु.433.83 लाख प्राप्त किए हैं और प्रारंभिक बचपन शिक्षा तथा विकास केंद्र (सीईसीईडी) हेतु रु. 365.52 लाख का भुगतान किया है। तथापि, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा में सीईसीईडी हेतु वर्ष के

दौरान कुल प्राप्तियां तथा भुगतान दर्शाने के बजाए विश्वविद्यालय ने पिछले वर्ष वसूलीयोग्य रु.37.63 लाख की धनराशि का समायोजन करने के बाद सीईसीईडी शीर्ष, एवं अन्य परियोजनाओं(नेट) के तहत केवल रु.105.94लाख की शेष धनराशि को दर्शाया है।

(ii). आगे, वसूलीयोग्य रु.37.63लाख की वास्तविक रूप में प्राप्त धनराशि का सत्यापन करने के लिए लेखापरीक्षा को प्रमाणस्वरूप अपेक्षित दस्तावेज नहीं दिखाए थे।

(iii) इसी प्रकार यूजीसी फैलोशिप, पाठ्यक्रम शुल्क और अवधान राशि हेतु प्राप्त एवं भुगतान की कुल निधि दर्शाने के बजाय विश्वविद्यालय ने प्राप्ति एवं भुगतान लेखा में इन निधियों के तहत गलत तरीके से निवल आंकड़े दर्शाए हैं। इस प्रकार प्राप्ति एवं भुगतान लेखा को आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन प्रैक्टिसों के अनुसार तैयार नहीं किया गया है।

डी. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं खातों पर टिप्पणियां (नोट्स टू अकाउंट्स)

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उच्च शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली की स्थापना करने के लिए दिनांक 28.01.2013 को धीरपुर, फेज-I, दिल्ली स्थित 17.1956 हेक्टेअर भूमि का एक टुकड़ा आबंटित किया था। इस तथ्य को 'खातों पर टिप्पणियां' में नहीं दर्शाया गया है।

ई. सामान्य

(i) विश्वविद्यालय ने वर्ष 2012-13 तक उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण के कर्मचारी लाभों के लिए देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया।

(ii) विश्वविद्यालय ने तुलनपत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा शीर्ष पर पिछले वर्ष के आंकड़ों/शेषों को दर्शाया नहीं है।

(iii) वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने रु.281.54 लाख की स्थायी परिसंपत्तियां खरीदी और उसे अपनी लेखांकन नीति के अनुसार आय एवं व्यय लेखा में व्यय के रूप में प्रभारित किया है। साथ ही क्रय की स्थायी परिसंपत्तियों को तुलनपत्र में लागत पर भी दर्शाया गया है। सहायता अनुदान से क्रय की गई स्थायी परिसंपत्तियों के उत्तरदायित्व हेतु अपनाया गया तरीका और लेखांकन नीतियां एएस-12 के अनुरूप नहीं थी।

v. पूर्ववर्ती पैराग्राफ्स में हमारे अवलोकनों को ध्यान में रखते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा खातों की पुस्तकों के साथ मेल नहीं खाते हैं।

vi. हमारी राय में एवं हमारी सबसे अच्छी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण के साथ पठित लेखांकन नीतियां और खातों पर टिप्पणियां, और उपर्युक्त बकाया महत्त्पूर्ण मामलों, और इस रिपोर्ट के संलग्नक में दर्शाए गए अन्य मामले भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सत्य एवं सही दृश्य प्रस्तुत नहीं करते हैं :

क) जहां तक यह 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कार्यों की स्थिति के तुलन-पत्र से संबधित है, और

ख) जहां तक यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/ प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तुलनपत्र में अग्रनयन अवितरित अनुदान से संबंधित है।

हस्ता./-

प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 15/12/2016

संलग्नक

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** – विश्वविद्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** – विश्वविद्यालय के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि पाया गया कि प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में जीएनसीटीडी को भेजे गए उपयोग प्रमाण पत्र ठीक नहीं थे ।

3. **स्थायी परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली**- वर्ष 2012-13 की अवधि हेतु स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

4. **एफडीआर के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली** – समाप्त वर्ष में एफडीआर के प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किए गए थे।

5. **सांविधिक देय के भुगतान में नियमितता** - संस्थान द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान निर्धारित समय के भीतर विश्वविद्यालय ने सांविधिक देय राशि का भुगतान किया।

This page has been Intentionally Left Blank

पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2012–13 पर पैरा वार कार्यवाही

2012-13

क. तुलन-पत्र

क्रमांक	लेखापरीक्षा टिप्पणियां	जवाब
1.	**देयताएं** **आय एवं व्यय लेखा के अनुसार आय से व्यय का आधिक्य – रु.802.45 लाख** उपर्युक्त में छात्र कल्याण निधि में रु.7.20 लाख(रु.4.27 लाख के विश्वविद्यालय अंशदान तथा वर्ष के दौरान रु.1.35 लाख सहित व्यय का समायोजन करने के बाद) शामिल हैं जिसे उद्दिष्ट/अक्षय निधियों के तहत अलग से दर्शाया जाना चाहिए। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के अनुसार रु.7.20 लाख की छात्र कल्याण निधि में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेटमेंट) तथा आय से व्यय के आधिक्य में अत्युक्ति(ओवरस्टेटमेंट) हुई है।	सुधारा कर लिया गया है। अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेखा के सामान्य प्रारूप का प्रयोग शुरू कर दिया है। वर्ष 2014-15 में विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद में छात्र कल्याण निधि बनायी गई और इसे चालू देयताओं के तहत दर्शाया गया। तथापि, वित्तीय वर्ष 2015-16 में इसे उद्दिष्ट/अक्षय निधियों के तहत ठीक तरह से दर्शाया गया है।
2.	**परिसंपत्तियां**	
	निवेश - रु.149.79 लाख	
	विश्वविद्यालय ने नयी पेशन योजना तथा वर्ष 2012-13 हेतु देय छुट्टी नकदीकरण एवं पेंशन अंशदान से संबंधित रु.149.79 लाख की एफडीआर धनराशि को अपने निवेश के रूप में गलत तरीके से दर्शाया गया है। जिसके परिणामस्वरूप रु.149.79 लाख की निवेश में अत्युक्ति(ओवरस्टेट्मेंट) तथा चालू परिसंपत्तियां एवं ऋण तथा अग्रिम के तहत बैंक शेष में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेट्मेंट) हुई है।	ए.यू.डी. ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से स्वायत्त निकायों हेतु लेखा के एकसमान प्रारूप का प्रयोग शुरू कर दिया है। कृपया अवलोकन को अनुपालन हेतु नोट किया गया है और इस संबंध में सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 से तुलनपत्र में बैंक शेष के तहत ठीक तरह से दर्शाया गया है।

ख.	**आय एवं व्यय लेखा**	
1	**आय**	
	पिछले वर्ष से अग्रानीत बैलेंस – रु. 725.65 लाख	
	आय एवं व्यय लेखा में केवल लेखांकन अवधि के दौरान अर्जित आय तथा वहन किए गए व्यय निहित होते हैं। इससे आरंभिक शेष के साथ कोई शीर्ष दर्शाना नहीं चाहिए। तथापि, वर्ष 2012-13 हेतु आय एवं व्यय लेखा में विश्वविद्यालय ने गलत तरीके से आय की तरफ आरंभिक शेष के रूप में रु.725.65 लाख को पिछले वर्ष के अवितरित अनुदान(आय एवं व्यय के आधिक्य का शेष) का अग्रानीत शेष दर्शाया है। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 हेतु आय में रु.725.65 लाख की अत्युक्ति (ओवरस्टेटमेंट) हुई है। यह प्रैक्टिस आमतौर पर स्वीकृति लेखांकन प्रैक्टिस के उल्लंघन में भी थी।	ए.यू.डी. ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से स्वायत्त निकायों हेतु लेखा के एकसमान प्रारूप पहले से ही प्रयोग करना शुरू कर दिया है। सुधारात्मक कार्रवाई वित्तीय वर्ष 2015-16 से की गई।
2.	**व्यय**	
	प्रशासनिक लागत (शेड्यूल IVए) – रु.1823.54 लाख	
	उपर्युक्त में सॉफ्टवेयरों(स्थायी परिसंपत्तियां) की खरीदी पर रु. 19.42 लाख का व्यय भी शामिल है। जिसके परिणामस्वरूप रु.19.42 लाख की प्रशासनिक लागत में अत्युक्ति (ओवरस्टेट्मेंट) तथा स्थायी परिसंपत्तियों में न्यूनोक्ति(अंडरस्टेट्मेंट) हुई है। तुलनपत्र में अग्रनयन आय एवं व्यय का आधिक्य को उसी सीमा तक कम करके भी बतलाया गया है।	वर्ष 2015-16 हेतु लेखा में सीएजी के सुझाव के अनुसार लेखा के सामान्य प्रारूप में तैयार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में लेखा पुस्तकों में अनियमितता को सही तरीके से ठीक किया गया है।
ग.	**प्राप्ति एवं भुगतान लेखा**	
	(i) वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने रु.433.83 लाख प्राप्त किए हैं और प्रारंभिक बचपन शिक्षा तथा विकास केंद्र (सीईसीईडी) हेतु रु. 365.52 लाख का भुगतान किया है। तथापि, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा में सीईसीईडी हेतु वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियां तथा भुगतान दर्शाने के बजाए विश्वविद्यालय ने पिछले वर्ष वसूलीयोग्य रु.37.63 लाख की धनराशि का समायोजन करने के बाद सीईसीईडी शीर्ष, एवं अन्य परियोजनाओं(नेट) के तहत केवल रु.105.94लाख	लेखापरीक्षा की टिप्पणी को नोट कर लिया गया है। सुधारात्मक उपाय वित्तीय वर्ष 2016-17 से उठाए जाएंगे।

	की शेष धनराशि को दर्शाया है।	
	(ii). आगे, वसूलीयोग्य रु.37.63लाख की धनराशि का सत्यापन करने के लिए लेखापरीक्षा को प्रमाणस्वरूप अपेक्षित दस्तावेज दिखाए नहीं थे, जो वास्तविक रूप में प्राप्त हुई थी।	
10.	(iii) इसी प्रकार यूजीसी फैलोशिप, पाठ्यक्रम शुल्क और अवधान राशि हेतु प्राप्त एवं भुगतान की कुल निधि दर्शाने के बजाय विश्वविद्यालय ने प्राप्ति एवं भुगतान लेखा में इन निधियों के तहत गलत तरीके से निवल आंकड़े दर्शाए हैं। इस प्रकार प्राप्ति एवं भुगतान लेखा को आमतौर पर स्वीकृति लेखांकन प्रैक्टिसों के अनुसार तैयार नहीं किया गया है।	लेखापरीक्षा की टिप्पणी को नोट कर लिया गया है। सुधारात्मक उपाय वित्तीय वर्ष 2016-17 से उठाए जाएंगे।
घ.	**महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं खातों पर टिप्पणियां**	
	दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उच्च शिक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली की स्थापना करने के लिए दिनांक 28.01.2013 को धीरपुर, फेज-I, दिल्ली स्थित 17.1956 हेक्टेअर भूमि का एक टुकड़ा आबंटित किया था। इस तथ्य को खातों पर टिप्पणियों में नहीं दर्शाया गया है।	चूंकि भूमि उच्च शिक्षा निदेशालय के नाम पर थी और उसने केवल भुगतान किया था। इसे खातों पर टिप्पणियां में शामिल करने के लिए आवश्यक नहीं समझा था। वर्ष 2015-16 हेतु विश्वविद्यालय के लेखा में भूमि की गणना की गई और जिसके लिए ए.यू.डी. द्वारा भुगतान किया गया। इसे अब खातों पर टिप्पणियां में भी दर्शाया गया है।
ड.	**सामान्य**	
	(i) विश्वविद्यालय ने वर्ष 2012-13 तक उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण के कर्मचारी लाभों के लिए देयताएं उपलब्ध नहीं कराई हैं।	जैसा कि ए.यू.डी. नकद अपने आधार पर खाते तैयार कर रहा था, कोई प्रावधान नहीं किया गया था। चूंकि अब हमने खातों को प्रोद्भवन आधार पर तथा स्वायत्त निकायों हेतु लेखा के सामान्य प्रारूप पर तैयार करना शुरू कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान एल.आई.सी. द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराए गए।
	(ii) विश्वविद्यालय ने तुलनपत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा शीर्ष पर पिछले वर्ष के आंकड़ों/शेषों को दर्शाया नहीं है।	सुधारात्मक कार्रवाई पहले ही वित्तीय वर्ष 2015-16 से की गई, पिछले वर्ष के आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं।

	(iii) वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने रु.281.54 लाख की स्थायी परिसंपत्तियां खरीदी और उसे अपनी लेखांकन नीति के अनुसार आय एवं व्यय लेखा में व्यय के रूप में प्रभारित किया है । साथ ही क्रय की स्थायी परिसंपत्तियों को तुलनपत्र में लागत पर भी दर्शाया गया है। सहायता अनुदान से क्रय की गई स्थायी परिसंपत्तियों के उत्तरदायित्व हेतु अपनाया गया तरीका और लेखांकन नीतियां एएस-12 के अनुरूप नहीं थी।	विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद वित्तीय वर्ष 2015-16 में सुधारात्मक कार्रवाई की गई । स्थायी परिसंपत्तियों को अब स्थायी परिसंपत्ति शेड्यूल में ठीक तरह से दर्शाया गया है और मूल्यह्रास को भी प्रभारित किया जाता है ।
	v. पूर्ववर्ती पैराग्राफ्स में हमारे अवलोकनों को ध्यान में रखते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा खातों की पुस्तकों के साथ मेल नहीं खाते हैं।	
	vi. हमारी राय में एवं हमारी सबसे अच्छी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण के साथ पठित लेखांकन नीतियां और नोट्स टू अकाउंटस, और उपर्युक्त बकाया महत्त्पूर्ण मामलों, और इस रिपोर्ट के संलग्नक में दर्शाए गए अन्य मामले भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चे एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं देते हैं।	
	ए. जहां तक यह 31 मार्च, 2013 को भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के मामलों के तुलनपत्र संबंधित है ;	
	बी. जहां तक यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/ प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तुलनपत्र में अग्रनयन अवितरित अनुदान से संबंधित है।	

This page has been Intentionally Left Blank